राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1189/2023

प्यारेलाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू डिवीजन, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खण्डेला, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.03.2023
आदेश की दिनांक : 16.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सारा प्रवीण, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी की एम.कॉम. योग्यता नहीं जोडे जाने पर समय से अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अतः उक्त योग्यता को जोडते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार करते हुये रिव्यू डीपीसी की जावे और उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ तथा पदोन्नति उपरांत शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आदि का नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 26.01.1991 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ और उसने बी.कॉम योग्यता वर्ष 1987 में अर्जित की और एम.कॉम. की योग्यता वर्ष 1993 में तथा एम.ए. की योग्यता वर्ष 1999 में अर्जित की तथा आदेश दिनांक 10.11.2004 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी उच्च योग्यता रखने के बावजूद उसे डीपीसी वर्ष 2013–14 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान यह कहते हुये नहीं की गई कि अपीलार्थी आवश्यक योग्यता पूर्ण नहीं करता है जबकि अपीलार्थी पूर्व ही योग्यता अर्जित कर चुका था, परंतु विभाग द्वारा उसकी योग्यता को न ही अंकन किया गया और न ही जोडा गया। अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को न केवल वरिष्ठता का नुकसान हुआ है बल्कि उसे उप प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध वंचित होना पडा। इस प्रकार विभाग द्वारा अपीलार्थी की उच्च योग्यता को समय पर दर्ज नहीं करना नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी की एम.कॉम. योग्यता नहीं जोडे जाने पर समय से अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अतः उक्त योग्यता को जोडते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार करते हुये रिव्यू डीपीसी की जावे और उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ तथा पदोन्नति उपरांत शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आदि का नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा सेवाकाल में अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु वर्ष 2015 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा उसी आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में पदोन्नति प्रदान की गई है। यदि किसी कार्मिक द्वारा योग्यता अर्जित करने के उपरांत उक्त योग्यताओं के अंकन हेतु आवश्यक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह कैसे

संभव है कि उक्त योग्यताओं की जानकारी प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त हो और इस प्रकार अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी यह उच्च योग्यता वर्ष 1998 में ही रखता था। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2015 में उक्त योग्यता के संबंध में जानकारी दी है। जबकि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अद्यतन की गई और यह केवल एक बार ही नहीं अपितु दो बार अपीलार्थी के साथ ऐसा किया गया जो कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिये थी जो वर्ष 2016–17 में दी गई और इसी प्रकार उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका का अद्यतन करने हेतु लापरवाही रही, जिसमें अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.एन. प्रेमाचंद्रण बनाम केरला राज्य व अन्य (2004) 1 एससीसी 245, एन.जे.सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016, आर.आर.वर्मा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एससी/0514/1980 एवं इकबाल अहमद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2010 सी.ए./0605/2010 में पारित निर्णय जिसमें ऐसे प्रकरणों में प्रार्थियों/कार्मिकों को लाभ दिये जाने से वंचित किया जाना उचित नहीं माना है। अतः अपीलार्थी भी नियमानुसार उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 26.01.1991 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ और उसने बी.कॉम. योग्यता वर्ष 1987 में अर्जित की और एम.कॉम. की योग्यता वर्ष 1993 में तथा एम.ए. की योग्यता वर्ष 1999 में अर्जित की तथा आदेश दिनांक 10.11.2004 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई। वांछित योग्यता रखने के बावजूद अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी डीपीसी आयोजित होने से पूर्व

ही योग्यता अर्जित कर चुका था, परंतु विभाग द्वारा उसकी योग्यता को न ही अंकन किया गया और न ही जोडा गया, जिसके कारण अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2016–17 के बजाय डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा सेवा काल में अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु वर्ष 2015 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उसी आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सेवा रिकार्ड में योग्यता अंकित करवाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को जो पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह पत्रावली पर भी उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, परंतु उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न तो वह विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है और न ही शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज को वैध/प्रमाणित दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यता अभिवृद्धि करवाने के संबंध में समय पर विभाग में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध सेवाभिलेख/योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें हमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य